लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
029/2024(सू.अ.) (GCMS 2024/94)	15-04-2024	07-05-2024

अनवान

मोहम्मद हनीफ पिता गनी मोहम्मद निवासी वार्ड नंबर 17, एनजीटी 40, रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (मोबाईल 95718 00134)

अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बेंगूँ तहसील बेंगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बेंगूँ तहसील बेंगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 09.02.204 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./029/2024(सू.अ.) (07.05.2024)/ दिनांक 15.04.2024 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बेंगूँ तहसील बेंगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रजिस्टर्ड सूचना–पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 07.05.2024 अपील अपीलार्थी अनुपस्थित रहे एवं अपीलार्थी की और से लिखित कथन जरिये मेल प्राप्त हुआ जो कि शामिल पत्रावली है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बेंगूॅ जिला चित्तौड़गढ़ से पत्रांक/सू0अ0/2024/1346 दिनांक 06.05.2024 से बिन्दुवार टिप्पणी/कमेंट्स प्राप्त हुये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है, इसके साथ ही सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बेंगूॅ तहसील बेंगूॅ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा कमेट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां प्रेषित की गई है जो कि शामिल पत्रावली है।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बेंगूॅ तहसील बेंगूॅ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियॉं प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल है, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजदू है।

हमने अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बेंगूॅ तहसील बेंगूॅ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 09.02.2024 का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बेंगू द्वारा प्रार्थी/आवेदक के प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.02.2024 से वांछित सूचना के संबंध में जरिये पत्रांक/भू0अ0/2024/652 दिनांक 03.03.2024 से प्रत्युत्तर प्रेषित किया गया एवं प्रार्थी को वांछित सूचना के संबंध में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अवगत कराया गया है कि ग्राम बिछोर में राजस्व रेकार्ड में सोमानी रिसोर्ट के नाम पर भूमि दर्ज रेकार्ड नहीं है। इस तथ्य की पुष्टि प्रार्थी/आवेदक द्वारा अपील मेमों के साथ प्रस्तुत उक्त पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है कि शामिल पत्रावली हैं, ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित होता हैं कि अपीलार्थी/आवेदक के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में प्रस्तुत द्वारा आवेदन–पत्र दिनांक 09.02.2024 के समस्त अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बेंगूॅ तहसील बेंगूॅ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 09.02.2024 का विहित समायावधि में निस्तारण किया गया हैं, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बेंगू के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील सारहीन होने से खारीज किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन–पत्र दिनांक 09.02.2024 जो कि सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बेंगूॅ जिला चित्तौड़गढ़ को को प्रस्तुत किया गया बाबत् सारहीन होने से खारीज की जाती हैं।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बेंगूॅ जिला चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **07.05.2024** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official